



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in, दूरभाष/Tel.0177-2658285, फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: As per the E-signature

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(Email:-forestsecy-hp@nic.in)

विषय:- Diversion of 0.8223 ha. Forest Land in favour of M/S Behal Motors Plot No.6-7, Industrial Area, Phase No.III , Suketi Khad Mandi HP for the construction of Jiwa –II, SHEP (1.75 MW) in Sub division Banjar, District Kullu HP, within the jurisdiction of GHNP Shamshi, Distt. Kullu HP.

**संदर्भ: (i) State Government proposal no. FP/HP/HYD/147118/2021 dated 08.01.2025.
(ii) MoM of 72th REC of the RO-Chandigarh held on 21.11.2024**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. इस प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 21.11.2024 को हुई बैठक में संतुष्टि के उपरांत Diversion of 0.8223 ha. Forest Land in favour of M/S Behal Motors Plot No.6-7, Industrial Area, Phase No.III , Suketi Khad Mandi HP for the construction of Jiwa –II, SHEP (1.75 MW) in Sub division Banjar, District Kullu HP, within the jurisdiction of GHNP Shamshi, Distt. Kullu HP हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।
- WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, **0.8223** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।
- पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जाएगी।
- प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- vii. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।
 - viii. **No Objection Certificate from the competent authority with reference to the CIA/CCS studies (Impact Assessment) of River Beas and its recommendations shall be obtained by State Government along with any other environment related compliance/clearance.**
 - ix. **The State Government shall ensure that the proposed SHEP unit is within the stipulated carrying capacity recommended in the CIA/CCS study.**
 - x. **State Govt shall charge the NPV for OPEN FOREST only and shall send the NPV bill/calculation sheet as per the Vegetation density (OPEN FOREST) mentioned at S.No-4 (i),Part-I, of the PARIVESH portal.**
 - xi. **FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा ।**
- (B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-**
- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
 - iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 1.70 ha के पौधारोपण का कार्य, **Compartment/Survey No-karahilla (UPF) 124/53E/5, Village-Dharmanda-II/Karahila (UPF)124, Jiwanal Forest Range, GHNP- Shamshi Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh** पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा । यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का **monoculture** नहीं किया जाएगा ।
 - iv. प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
 - v. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।
 - vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
 - vii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - viii. **Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.**
 - ix. **Wild life Mangement Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 2% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with**

the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 2% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

- x. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xiii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- xv. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेंगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xvii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xviii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- xix. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।
- xx. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xxi. **The State Government/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna.**
- xxii. **Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.**
- xxiii. **State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project.**
- xxiv. **The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly.**
- xxv. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। **मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।**
- xxvi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xxvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xxviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

xxix. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के बारे में जारी Consolidated Guidelines में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

3. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,

Sd/-
(राजाराम सिंह)

उप वन महानिरीक्षक(के.)

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: ramesh.pandey@nic.in).
2. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalcahp@yahoo.com).
3. वन मण्डल अधिकारी, GHNP at शमशीवन मण्डल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश (E-mail: head-fordivwtkul-hp@hp.gov.in)
4. बेहाल मोटर्स, प्लॉट नं. 6-7, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-III हि.प्र. (E-mail: d.pdhawan@rediffmail.com)